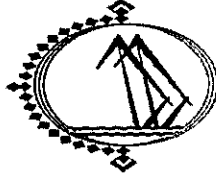


दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



स्थापना अनुभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय भवन
गाँधीधाम

सं. : जीए/पीएस/3526(PI-I)/88 I

दिनांक : / 7 -12-2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को वरिष्ठ कार्यालय परिचारक के पद पर रु. 24200-58600(पुनरीक्षित रु. 34100-82900) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है तथा उनके समक्ष दर्शाये गये स्थान पर तैनात किया जाता है।

क्र.सं.	नाम, पदनाम एवं विभाग	तैनाती का स्थान
1.	श्री विनोद जे. अडवाणी, कार्यालय परिचारक, सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
2.	श्री मनोहर एम. मकवाना, कार्यालय परिचारक, सिविल अभियांत्रिकी विभाग	सिविल अभियांत्रिकी विभाग
3.	श्रीमती राजकुमारी एच. हरिसिंधानी, कार्यालय परिचारक, समुद्री विभाग	वित्त विभाग
4.	श्री रतन टी. खोखर, कार्यालय परिचारक, सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
5.	श्रीमती राजबेन के. धुआ, कार्यालय परिचारक, सिविल अभियांत्रिकी विभाग	यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग

- उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.:सी-13019/33/2020-पीई-11 दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश, यदि लागू हो, के अधीन तय किया जाएगा।
- वे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009, के अधीन रहेंगे।
- उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
- उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क) (1) में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- उन्हें सात (7) दिनों के अन्दर तैनाती के स्थान पर हाजिर होना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी तथा वे एक साल तक पदोन्नति की हकदार नहीं रहेंगे।
- उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं.:जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(प्राधिकार : ई-फाईल सं.1510 में टिप्पणी सं.25 पर दिनांक 15.12.2025 को सचिव महोदय के अनुमोदन से)

वरिष्ठ उप सचिव

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

- श्री विनोद जे. अडवाणी, कार्यालय परिचारक, का.सं.4171, सामान्य प्रशासन विभाग - (सचिव के माध्यम से)
- श्री मनोहर एम. मकवाना, कार्यालय परिचारक, का.सं.1149, सिविल अभियांत्रिकी विभाग - (मुख्य अभियंता के माध्यम से)
- श्रीमती राजकुमारी एच. हरिसिंधानी, कार्यालय परिचारक, का.सं.5921, समुद्री विभाग - (उप संरक्षक के माध्यम से)
- श्री रतन टी. खोखर, कार्यालय परिचारक, का.सं.1860, सामान्य प्रशासन विभाग - (सचिव के माध्यम से)
- श्रीमती राजबेन के. धुआ, कार्यालय परिचारक, का.सं.1871, सिविल अभियांत्रिकी विभाग - (मुख्य अभियंता के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

- (1) सचिव / उप संरक्षक / मुख्य अभियंता / मुख्य यांत्रिक अभियंता / वि.स.एवं मु.ले.अधिकारी - सूचना एवं कार्यमुक्त एवं इयूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (2) लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम
- (3) ईडीपी (आए/सी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- (4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाईल/मास्टर फाईल/एचसीएम प्रकोष्ठ
- (5) मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक/ आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ